

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
5/22	136 LR Act	राजपुरा	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
श्रीमति कैलाश बाई	बनाम	राजस्थान सरकार	

वकील :- श्री ओम भारद्वाज एड. आदेश पत्रक वकील:- विविध संदर्भ
 दिनांक कार्यवाही एवं आदेश

31.03.2022 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी गण को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 06.05.2022 को पेश हो।

6-5-22 पत्रावली पेश हुई। तहसील प्रार्थी उपा/अप्रार्थी की तहसील हेतु तलवना पत्रावली पेश की। पत्रावली वापस तहसील दिनांक 1-7-22 को पेश हो।

01-9-22 गौरीगंज न्यायालय में रहने से पूर्ववत दिनांक 9-9-22 को प्रस्तुत की।
 रोड/ उपखण्ड अधिकारी बारां

9-9-22 पत्रावली आज पेश हुई। तहसील प्रार्थी उपा/अप्रार्थी की तहसील हेतु तलवना पत्रावली पेश की। पत्रावली वापस तहसील दिनांक 10-11-22 को पेश हो।

10-11-22 पत्रावली पेश हुई। तहसील प्रार्थी उपा/अप्रार्थी की तहसील हेतु तलवना पत्रावली पेश की। पत्रावली वापस तहसील दिनांक 15-12-22 को पेश हो।

15-12-22 पत्रावली पेश हुई। तहसील प्रार्थी उपा/अप्रार्थी की तहसील हेतु तलवना पत्रावली पेश की। पत्रावली वापस तहसील दिनांक 3-2-23 को पेश हो।

3-2-23 पत्रावली पेश हुई। तहसील प्रार्थी उपा/अप्रार्थी की तहसील हेतु तलवना पत्रावली पेश की। पत्रावली वापस तहसील दिनांक 6-4-23 को पेश हो।

निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

करण संख्या :- 55/22

दायरा दिनांक :- 31.03.2022

निर्णय दिनांक :- 30/5/25

उनवान

1. श्रीमती कैलाश बाई आयु 77 वर्ष पत्नी श्री धन्ना लाल जाति मेहर बलाई निवासी राजपुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. शंभूदयाल आयु 42 वर्ष पुत्र श्री धन्ना लाल जाति मेहर बलाई निवासी राजपुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
3. श्रीमती रूकमणि बाई आयु 49 वर्ष पुत्री श्री धन्ना लाल पत्नी श्री कुन्जबिहारी जाति मेहर बलाई निवासी ग्राम राजपुरा तहसील बारां हाल निवासी खेडली धाकडन अमरपुरा कोटा जिला कोटा राज0
4. श्रीमति संजू बाई आयु 32 वर्ष पुत्री श्री धन्ना लाल पत्नी कुमार जाति मेहर बलाई निवासी ग्राम राजपुरा तहसील बारां हाल निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां राज0

प्रार्थीगण-

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी-

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक :- 30/5/2025

- अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री चन्द्रप्रकाश यादव एडवोकेट - प्रार्थीगण
2. पेशेकार सरकार - अप्रार्थी

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट राजस्व रिकार्ड नाम दुरुस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम राजपुरा पटवार हल्का सुन्दलक तहसील बारां जिला बारां में आराजियात खाता संख्या वर्तमान 120 पुराना 124 की खसरा नं0 388 रकबा 0.72 हे0 किस्म बरानी द्वितीय लगानी 5.76 रूपया, खसरा नं0 406 रकबा 1.18 हे0 किस्म बरानी द्वितीय लगानी 9.44 रूपया, खसरा नं0 508 रकबा 0.13 हे0 किस्म बरानी प्रथम लगानी 1.43 रूपया कुल किता 3 कुल रकबा 2.03 हे0 स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद् नं0 1 में अंकित के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया क्रमांक 1 का नाम कैलाश बाई पत्नी स्व श्री धन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा0 देह खातेदार के स्थान पर कैलाश बाई पत्नी स्व0 श्री मथुरा हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा0 देह खातेदार एवं इसी प्रकार प्रार्थी क्रमांक 2 का नाम शंभूदयाल पुत्र श्री धन्ना लाल हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा0 देह खातेदार के स्थान पर शंभूदयाल पुत्र श्री मथुरा हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा0 देह खातेदार प्रार्थीया क्रमांक 3 का नाम रूकमणि बाई

उपखण्ड अधिकारी
बारां

श्री धन्ना लाल हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार के स्थान पर रूकमणि पुत्री श्री मथुरा हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार प्रार्थीया क्रमांक 4 का नाम जू बाई पुत्री श्री धन्ना लाल हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार के स्थान पर न्जू बाई पुत्री श्री मथुरा हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है क्योंकि प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम धन्ना लाल पुत्र मथुरा लाल जाति मेहर बलाई निवासी राजपुरा था किन्तु प्रार्थीगण के पिता श्री धन्ना लाल की मृत्यु प्रार्थीगण के दादाजी श्री मथुरा के जीवनकाल में ही हो चुकी थी तथा प्रार्थीगण के दादाजी श्री मथुरा लाल की मृत्यु के बाद उनके खातेदारी की आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति/पिता श्री धन्ना लाल के स्थान पर दादाजी श्री मथुरा का नाम दर्ज कर दिया गया है जो गलत है जबकि प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम धन्ना लाल पुत्र मथुरा है। जिसकी पुष्टि वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से होती है। जिसकी प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न है। यह आराजियात खाता संख्या वर्तमान 120 पुराना 124 की खसरा नं० 388 रकबा 0.72 हे० किस्म बरानी द्वितीय लगानी 5.76 रूपया, खसरा नं० 406 रकबा 1.18 हे० किस्म बरानी द्वितीय लगानी 9.44 रूपया, खसरा नं० 508 रकबा 0.13 हे० किस्म बरानी प्रथम लगानी 1.43 रूपया कुल किता 3 कुल रकबा 2.03 हे० वाके माल ग्राम राजपुरा पटवार हल्का सुन्दलक तहसील बारां के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम धन्नालाल के स्थान पर मथुरा दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात पर के०सी०सी० बनवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहे हैं। तथा बैंक द्वारा प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने व दस्तावेज से मिलान न होने से के०सी०सी० बनाने से साफ मना कर दिया। इस कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये न्यायहित में प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजियात के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में प्रार्थीया क्रमांक 1 का नाम कैलाश बाई पत्नी स्व० श्री मथुरा हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार के स्थान पर कैलाश बाई पत्नी स्व० श्री धन्ना लाल हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार व इसी प्रकार वादी क्रमांक 2 का नाम शंभूदयाल पुत्र श्री मथुरा हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार के स्थान पर शंभूदयाल पुत्र श्री धन्ना लाल हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार, वादीया क्रमांक 3 का नाम रूकमणि बाई पुत्री श्री मथुरा हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार के स्थान पर रूकमणि बाई पुत्री श्री धन्ना लाल हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार एवं वादीया क्रमांक 4 का नाम संजू बाई पुत्री श्री मथुरा हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार के स्थान पर संजू बाई पुत्री श्री धन्ना लाल हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार दर्ज करवाने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके माल ग्राम राजपुरा पटवार हल्का सुन्दलक तहसील बारां जिला बारां के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया क्रमांक 1 का नाम कैलाश बाई पत्नी स्व० श्री मथुरा हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार के स्थान पर कैलाश बाई पत्नी स्व० धन्ना लाल हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार व इसी प्रकार वादी क्रमांक 2 का नाम शंभूदयाल पुत्र श्री मथुरा हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार के स्थान पर शंभूदयाल पुत्र श्री धन्ना लाल हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार वादीया क्रमांक 3 का नाम रूकमणि बाई पुत्री मथुरा हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा० देह खातेदार के स्थान पर रूकमणि बाई पुत्री श्री धन्ना लाल हिस्सा


 उपखण्ड अधिकारी
 बारां

6 जाति मेहर बलाई सा0 देह खातेदार एवं वादीया क्रमांक 4 का नाम सन्जू बाई पुत्री श्री मथुरा हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा0 देह खातेदार के स्थान पर संजू बाई पुत्री श्री धन्नालाल हिस्सा 1/6 जाति मेहर बलाई सा0 देह खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाने की कृपा करें व अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे वह वादी को प्रतिवादी से दिलवायी जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जयें सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम राजपुरा सम्वत 2070-73, खाता संख्या नया 120 पुराना खाता संख्या 124, नोटिस फोटा प्रति 80 सीपीसी दिनांक 25.03.2022, मृत्यु प्रमाण पत्र धन्नालाल दिनांक 22.02.2022, मृत्यु प्रमाण पत्र मथुरालाल 22.02.2022, आधार कार्ड शंभूदयाल, आधार कार्ड रुकमणि, आधार कार्ड संजू बाई, आधार कार्ड कैलाश बाई, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराया गया प्रार्थी का कथन है कि ग्राम राजपुरा पटवार हल्का सुन्दलक तहसील बारां जिला बारां में आराजियात खाता संख्या वर्तमान 120 पुराना 124 की खसरा नं0 388 रकबा 0.72 हे0, खसरा नं0 406 रकबा 1.18 हे0, खसरा नं0 508 रकबा 0.13 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.03 हे0 स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के शामिल की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में अंकित के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया क्रमांक 1 का नाम कैलाश बाई पत्नी स्व श्री धन्नालाल के स्थान पर कैलाश बाई पत्नी स्व0 श्री मथुरा एवं इसी प्रकार प्रार्थी क्रमांक 2 का नाम शंभूदयाल पुत्र श्री धन्नालाल के स्थान पर शंभूदयाल पुत्र श्री मथुरा प्रार्थीया क्रमांक 3 का नाम रुकमणि बाई पुत्री श्री धन्नालाल के स्थान पर रुकमणि बाई पुत्री श्री मथुरा प्रार्थीया क्रमांक 4 का नाम संजू बाई पुत्री श्री धन्नालाल के स्थान पर सन्जू बाई पुत्री श्री मथुरा राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है क्योंकि प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम धन्नालाल पुत्र मथुरा लाल जाति मेहर बलाई निवासी राजपुरा था किन्तु प्रार्थीगण के पिता श्री धन्नालाल की मृत्यु प्रार्थीगण के दादाजी श्री मथुरा के जीवनकाल में ही हो चुकी थी तथा प्रार्थीगण के दादाजी श्री मथुरालाल की मृत्यु के बाद उनके खातेदारी की आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति/पिता श्री धन्नालाल के स्थान पर दादाजी श्री मथुरा का नाम दर्ज कर दिया गया है जो गलत है जबकि प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम धन्नालाल पुत्र मथुरा है। जिसकी पुष्टि वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से होती है। जिसकी प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न है। यह आराजियात खाता संख्या वर्तमान 120 पुराना 124 की खसरा नं0 388 रकबा 0.72 हे0, खसरा नं0 406 रकबा 1.18 हे0, खसरा नं0 508 रकबा 0.13 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.03 हे0 वाके माल ग्राम राजपुरा पटवार हल्का सुन्दलक तहसील बारां के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम धन्नालाल के स्थान पर मथुरा दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात पर के0सी0सी0 बनवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने से वंचित हो रहे है। तथा बैंक द्वारा प्रार्थीगण के पति/पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने व दस्तावेज से मिलान न होने से के0सी0सी0 बनाने से साफ मना कर दिया। इस कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके माल ग्राम राजपुरा पटवार हल्का


उपखण्ड अधिकारी
बारां


तक तहसील बारां जिला बारां के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया क्रमांक 1 का नाम कैलाश बाई
। स्व श्री मथुरा के स्थान पर कैलाश बाई पत्नी स्व धन्नालाल व इसी प्रकार वादी क्रमांक 2
नाम शंभूदयाल पुत्र श्री मथुरा के स्थान पर शंभूदयाल पुत्र श्री धन्नालाल वादीया क्रमांक 3
नाम रूकमणि बाई पुत्री मथुरा के स्थान पर रूकमणि बाई पुत्री श्री धन्नालाल एवं वादीया
क्रमांक 4 का नाम सन्जू बाई पुत्री श्री मथुरा के स्थान पर संजू बाई पुत्री श्री धन्नालाल दर्ज
किये जाने का आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाने की कृपा करें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन किया
गया। प्रस्तुत नकल ग्राम राजपुरा की हाल जमाबन्दी खाता संख्या 120 पर किता 3/2.03 हे०,
में वादीगणों का नाम कैलाश बाई पत्नि स्व मथुरा हिस्सा 1/6, रूकमणि बाई पुत्री मथुरा हिस्सा
1/6, शंभूदयाल पुत्र मथुरा हिस्सा 1/6, संजू बाई पुत्री मथुरा 1/6, जाति मेहर बलाई सा०
देह दर्ज रिकार्ड है। वादीगणों द्वारा संलग्न पहचान दस्तावेज आधार कार्ड में वादीगणों के
पिता/पति का नाम धन्नालाल दर्ज है जबकि जमाबन्दी में वादीगणों के पिता/पति का नाम
मथुरा दर्ज है साथ ही वादीगणों द्वारा पेश किये मृत्यु प्रमाण पत्र में धन्नालाल के पिता का नाम
मथुरालाल दर्ज है। अतः संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ग्राम राजपुरा की जमाबन्दी खाता
संख्या 120 किता 3/2.03 हे०, में वादीगणों के पिता/पति का नाम मथुरा के स्थान पर
धन्नालाल तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित
आराजी ग्राम राजपुरा की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 120, पुराना खाता संख्या 124,
ग्राम राजपुरा तहसील व जिला बारां की आराजियात में प्रार्थीगण कैलाश बाई पत्नी स्व श्री मथुरा
के स्थान पर कैलाश बाई पत्नी स्व धन्नालाल व शंभूदयाल पुत्र श्री मथुरा के स्थान पर
शंभूदयाल पुत्र श्री धन्नालाल व रूकमणि बाई पुत्री मथुरा के स्थान पर रूकमणि बाई पुत्री श्री
धन्नालाल एवं सन्जू बाई पुत्री श्री मथुरा के स्थान पर संजू बाई पुत्री श्री धन्नालाल दर्ज करने
हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(बनवारी लाल बैरवा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बारां